| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्यूक्ति |
|---|---|---|
| 08.10.2018 | श्री नरेश कुमार, पणन पदाधिकारी, हटिया क्षेत्र उपस्थित।<br>श्रीमती सबीता लिण्डा, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0–51, उपस्थित।<br>श्रीमती लालती देवी, आवेदिका, हटिया क्षेत्र उपस्थित।<br><br>यह वाद श्रीमती लालती देवी, राँची द्वारा लाया गया है।<br>वाद का संज्ञान लेते हुए प्रतिवादी के रुप श्री नरेश कुमार, पणन पदाधिकारी, हटिया क्षेत्र, राँची को नोटिस निर्गत किया गया।<br>निर्धारित तिथियों में उभय पक्ष उपस्थित होते रहे।<br>अपीलकर्ता द्वारा लाभान्वितों की सूची समर्पित की है।<br>अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया कि उक्त सूची में शामिल सूची लाभान्वित अत्यन्त गरीब और PH कार्ड के लिये योग्य है।<br>लालती देवी के नाम एक कार्ड निर्गत हुआ है, जिसमें पणन पदाधिकारी ने यह प्रतिवेदन दिया है कि लालती देवी के परिवार के निम्न सदस्यों :–<br>1. साधू शर्मा, पति<br>2. धनंजय शर्मा, पुत्र<br>3. दीपू शर्मा, पुत्र<br>4. पूजा कुमारी, पुत्री<br><br>का नाम जोड़ा जा सकता है।<br>श्री नरेश कुमार, पणन पदाधिकारी, हटिया क्षेत्र को यह आदेश दिया गया कि उस राशन कार्ड में लालती देवी के परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ दिया जाय।<br>अगली सुनवाई की तिथि दिनांक – 23.10.2018 को निर्धारित की जाती है।<br><br>8.10.18<br>[illegible]<br>राज्य खाद्य आयोग,<br>राँची।<br><br>(उपेन्द्र नारायण उराँव)<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग,<br>राँची। | |

23.10.18

लालती देवी उपस्थित। टट कुमार
BS मो० उपस्थित। दोनों के मध्य 449
किता 4.5.17 के आदेश। मकान
जांच का लालती देवी के आदेश
को कहीं मकान में कब्जा
कब्जा नहीं है। (सत्यापन पत्र)
23.10.18 को Card निर्गत किया है।
Card आप लालती देवी को
आप दिया जाय।
उपरोक्त के आलोक में कार्यवाही
की जाय।

23.10.18

लालती देवी उपस्थित कार्यवाही
समाप्त की गई। अतः नस्तीबद्ध की
जाती है।

23/10/18